

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

सं०..... डी० एल० ए० समस्तीपुर

दिनांक

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कोलहंटा, परगना-जखलपुर, थाना-रोसड़ा, थाना नं०-106, जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हायाघाट कराचीन के 42वें कि० मी० से 75वें कि० मी० तक समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम कोलहंटा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 7.13 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अंश 106, 105, 104, 103, 102, 101, 99, 98, 97, 96, 165, 166, 168, 167, 169, 362, 364, 363, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 376, 400, 399, 401, 403, 408, 411, 412, 416, 417, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 473, 474, 475, 476, 501, 502, 502/675, 510, 252, 253, 255, 256, 294, 295, 299, 300, 314, 316, 319, 320, 323, 324, 326, 328, 335, 336, 340, 341, 344, 345, 348, 350 एवं पूर्ण खेसरा सं० 402, 409, 410, 292, 315 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- सीमा रेखा ग्राम महसर वो अंश खेसरा सं० 362, 364, 363, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 376, 400, 399, 401, 403, 408, 411, 412, 416, 417, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 473, 474, 475, 476, 501, 502, 502/675, 510

पूरब :- अंश खेसरा सं० 106, 105, 104, 103, 102, 101, 99, 98, 97, 96, 126, 165, 166, 167, 168, 169 वो तटबंध वो सीमा रेखा ग्राम भोरहा बहेरा।


दक्षिण :- सीमा रेखा ग्राम समरहटी वो अंश खेसरा सं० 252, 253, 255, 256, 294, 295, 299, 300, 314, 316, 319, 320, 323, 324, 326, 328, 335, 336, 337, 340, 341, 344, 345, 348, 350

पश्चिम :- तटबंध खेसरा सं० 95 वो तटबंध सीमा रेखा ग्राम गोनवारा।


यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियन्त्रण प्रमंडल हथौड़ी, समस्तीपुर के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ० के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर।
अपर समाहर्ता, समस्तीपुर।
समाहर्ता, समस्तीपुर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक - 3058 / डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना,

दिनांक - 30-12-13

- प्रतिलिपि : (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/रोसड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

सरकार के अवर सचिव
30/12/13